न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2019/00133 दायरा दिनांक : 08.07.2019

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ गोपाल आत्मज श्री कंवरलाल, उम्र 70 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०
2. मंदाकिनी पत्नी श्री रामगोपाल, उम्र 68 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवांस, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द पिता श्री कंवरलाल सेवानिवृत अध्यापक, जाति ब्राह्मण, निवासी ए–5, अग्रसेन विहार कॉलोनी, झालावाड़ जिला झालावाड राजस्थान (मृतक) कायम मुकामान
   1/1 श्रीमति राजरानी शर्मा उम्र 72 वर्ष पत्नी स्व. रामचन्द
   1/2 आलोक उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व. रामचन्द
   1/3 राजेन्द्र शर्मा उम्र 40 वर्ष स्व. रामचन्द
   1/4 रेखा कुमारी उम्र 52 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द
   1/5 नीता कुमारी उम्र 45 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द
   1/6 आशा कुमारी उम्र 43 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासीगण ए–5, अग्रसेन विहार कॉलोनी, झालावाड़ जिला झालावाड राजस्थान
2. श्रीमति नन्दु बाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री रामप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवॉस, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0
3. श्रीमति दुर्गाबाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री राजाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी सोयत खुर्द, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म0 प्र0)
4. श्रीमति धापूबाई पुत्री रामरतन पत्नी रामगोपाल, जाति ब्राह्मण, निवासी हाल सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म० प्र०)
5. श्रीमति सन्तोषबाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी खूमड़ा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म० प्र०)
6. श्रीमति गायत्रीबाई पुत्री रामरतन पत्नी अरविन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी बकानीखुर्द, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड (राज०)
7. श्रीमति कमला बाई बैवा गोकुल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवांस, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०
8. पूनमचन्द आत्मज श्री गोकुल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड राज०
9. बालचन्द पिता श्री गोकुल, जाति ब्राहाण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज०
10. श्रीमति पूरन बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी गैलाना माताजी का तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11. श्रीमति भगवती बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री रामकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी गाँव लौहा का पिपलिया, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ म. प्र.
12. श्रीमति हेमलता पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवरी, जामुनिया तहसील जीरापुर, जिला राजगढ म. प्र.
13. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री रविशंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज०
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा/रायपुर

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हुकम चन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 से 1/6, श्री अमितोषाचार्य रेस्पोडेंट कम 2 से 6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 19.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) झालावाड के प्रकरण संख्या – 95/462/1998 निर्णय दिनांक 24.06.1998 व डिक्री दिनांक 22.07.1998 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामरतन ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी के खाते में ग्राम सुवास, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ हस्व जमाबन्दी सम्वत 2021 लगायत 2024 आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 2.91 एकड़ तथा खसरा नम्बर 272 रकबा 4.70 एकड भूमि स्थित है। ग्राम सुवास का सैटलमेंट के बाद साबिक खसरा नम्बर 224 रकबा 2.91 एकड़ का हाल खसरा नम्बर 259 बन गया है। खसरा नम्बर 259 में साबिक खसरा नम्बर 224 का रकबा 2.91 एकड़ बीघा में 4.08 बीघा बनकर साबिक खसरा नम्बर 210 के रकबे 7 बीघा को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 12.12 बीघा बना दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.1998 व डिक्री दिनांक 22.07.1998 से वादीगण का दावा डिकी कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि जेरकार निर्णय डिक्री दिनांक 22.06.1998 व 22.07.1998 या 24.06.1998 विधि एवं प्राकृतिक न्याय एवं पत्रावली पर

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपलब्ध पत्र संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। निर्णय/डिक्री दिनांक में तनकी विसंगतियां है। आदेशिका दिनांक 24.06.1998 में निर्णय लिखाया जाना दर्ज होकर मुताबिक निर्णय डिक्री मुरजिख हो आदेशिका में वर्णित है। आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय का 24.06.1998 का वर्णित एवं प्रसारित है। डिक्री मुकदमा इब्तदाई ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी में मिसल नं. 95/462/98 के नीचे निर्णय 22.06.1998 दर्ज है तथा डिक्री में मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख में 22.07.1998 को जारी की गई दर्ज है। इस कारण विभिन्न तारीखों का वर्णन किया है। जेरकार निर्णय/डिक्री के प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी नं. 1 व 3 गोकुल प्रसाद व रामचन्द ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है जबकि अपीलान्ट रामगोपाल लक्ष्मीनारायण (मृतक प्रतिवादी नं. 2) इन्द्राणीबाई (मृतक प्रतिवादी नं. 5) ने इन्कारी जवाब पेश किया है तथा विशेष आपत्तियां भी दर्ज की है, जिन पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जाकर भारी कानूनी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं जवाबदावा प्रतिवादी नं. 2, 4 व 5 के आधार पर तनकीयात कायम की गई है जिसका विधि अनुसार निर्णय डिक्री भी तनकीयात कायम होने पर तनकीवार ही किया जाना विधि का सिद्धान्त है। (आदेश 20 नियम 5 सी पी सी) जिसकी पालना माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। इस कारण जेरकार निर्णय डिक्री दूषित है तथा निरस्त होने योग्य है।

वादी ने स्वयं को नन्दाजी का दत्तक पुत्र बताया है। जब वाद दायर करते समय वादी की उम्र 60 वर्ष दर्ज की है तथा नन्दाजी की मृत्यु वादी के जन्म से पूर्व हो चुकी है इस तथ्य पर भी कोई तनकी कायम नहीं की गई है तथा वादी को नन्दाजी का दत्तक पुत्र मानकर जो निर्णय डिक्री पारित की है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। साक्ष्य वादी दिनांक 14.02.1994 को पूर्ण होकर साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की है। प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य पेश करने के लिए दिनांक 28.03.1994 को दो गवाह एवं प्रतिवादीगण रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, इन्द्राणीबाई के साक्ष्य उपस्थित होकर आदेशिका पर गवाहान नाम दर्ज करवाये हैं। पीठासीन अधिकारी बाहर पधारने से गवाहान नहीं हो सके है तब वकील साहब ने कहा कि बाद में पता कर गवाहान पेश करने के लिए तुम्हें पत्र भेज दिया जायेगा। दिनांक 05.06.1995 को आदेशिका में दर्ज किया गया वकुलाय फरीकन उपस्थित है प्रतिवादी अनुपस्थित है। वकील प्रतिवादी कोई शहादत पेश करना नहीं चाहते है। अतः शहादत प्रतिवादी बंद की जाती है।' मिसल वास्ते बहस फाइनल में दिनांक 17.09.1995 तय की गई है। इस आदेशिका बाबत प्रतिवादी/अपीलान्ट रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, इन्द्राणी बाई को कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि इस तिथि को प्रतिवादी उपस्थित नहीं रहे तथा इसके बाद भी कोई सूचना वकील प्रतिवादी द्वारा नहीं दी गई है तथा प्रतिवादी भी वकील प्रतिवादी से सम्पर्क नहीं कर पाये। बाद में

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि दावा खारिज हो गया है। दिनांक 05.06.1995 से पत्रावली बहस फाइनल में निरन्तर तारीख पेशी पर नियत रही तथा दिनांक 24.06.1998 को पत्रावली में निर्णय/डिक्री पारित किया गया, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को नहीं हुई है। जानकारी के अभाव में जेरकार निर्णय/डिक्री निरस्त होने योग्य है। निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 की पालना की कार्यवाही निर्धारित अवधि में नहीं की गई है तथा इस तिथि के बाद की समस्त राजस्व रिकार्ड में आराजी का विवरण निम्नानुसार दर्ज रहा है। खसरा नं. 259 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 328 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 329 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 330 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 331 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 332 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 343 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल 7 किता कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रही है जो निरन्तर संवत 2056 से 2059 तक दर्ज रही है। रामरतन वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान का हिस्सा 1/6 तथा शेष का 5/6 दर्ज रहा है।

जेरकार निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 या 22.06.1998 या 22.07.1998 के पारित होने की जानकारी रेस्पोन्डेन्टस सं. 2 लगायत 7 मृतक रामरतन के वारिसान एवं रेस्पोन्डेन्टस नं. 1 रामचन्द्र को भी भली भांति रही है परन्तु डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल परिवर्तन नहीं होने से डिक्री अवधि पार हो चुकी है। इस कारण भी डिक्री स्वयं में शून्य निरस्त हो चुकी है तथा इसके आधार पर रेस्पोन्डेन्टस कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। इस कारण भी जेरकार अपील निर्णय/डिक्री निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जेरकार निर्णय/डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर ली गई साक्ष्य का भी सही तरीके से और नहीं किया है। साक्ष्य वादी में पेश पी. डब्ल्यू. 1 नन्दूबाई स्वयं वादी है तथा पी. डब्ल्यू. 2 मांगीलाल गूजर निवासी रूपाखेडी का है। इनसे वकील प्रतिवादी द्वारा जो जिरह की गई है उस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। जिरह से यह पूर्णतया साबित है कि रामरतन के जन्म से पूर्व ही नन्दाजी का स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण रामरतन नन्दाजी का दत्तक पुत्र नहीं है। इस पर विचार नहीं कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की भारी भूल की है। इस कारण जेरकार निर्णय/डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स माननीय न्यायालय हाजा में पेश कर प्रार्थना करते है कि जेरकार निर्णय डिक्री दिनांक 24.06.1998 प्रकरण संख्या 85/462 वर्ष 1998 डिक्री दिनांक 22.07.1998 मिसल नं. 95/462/1998 निर्णय दिनांक 22.06.1998 को निरस्त किये जाने की कृपा करे।

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.02.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुए अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय/डिक्री दिनांक में काफी विरोधाभास है। आदेशिका दिनांक 24.06.1998 में निर्णय लिखाया जाना दर्ज होकर मुताबिक निर्णय डिक्री मुरजिख हो आदेशिका में वर्णित है। आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय का 24.06.1998 का वर्णित एवं प्रसारित है। डिक्री मुकदमा इब्तदाई ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी में मिसल नं. 95/462/98 के नीचे निर्णय 22.06.1998 दर्ज है तथा डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख में 22.07.1998 को जारी की गई दर्ज है। इस कारण विभिन्न तारीखों का वर्णन किया है। जेरकार निर्णय/डिक्री का प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी नं. 1 व 3 गोकुलप्रसाद व रामचन्द ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है जबकि अपीलान्ट रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण (मृतक प्रतिवादी नं. 2), इन्द्राणीबाई (मृतक प्रतिवादी नं. 5) ने इन्कारी जवाब पेश किया है तथा विशेष आपत्तियां भी दर्ज की है। वादी रामरतन ने स्वयं को नन्दाजी का दत्तक पुत्र बताया है। वाद दायर करते समय वादी की उम्र 60 वर्ष दर्ज की है तथा नन्दाजी की मृत्यु वादी के जन्म से पूर्व हो चुकी है इस तथ्य पर भी कोई तनकी कायम नहीं की गई हैं तथा वादी को नन्दाजी का दत्तक पुत्र मानकर जो निर्णय/डिक्री पारित की है, वह विधि विरूद्ध है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं जवाबदावा प्रतिवादी नं 2, 4 व 5 के आधार पर तनकीयात कायम की गई है जिसका विधि अनुसार निर्णय डिक्री भी, तनकीयात कायम होने पर तनकीवार ही किया जाना विधि का सिद्धान्त है। (आदेश 20 नियम 5 सी पी सी) जिसकी पालना माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। साक्ष्य वादी दिनांक 14.02.1994 को पूर्ण होकर साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की है। प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य पेश करने के लिए दिनांक 28.03.1994 को दो गवाह एवं प्रतिवादीगण रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, इन्द्राणीबाई ने साक्ष्य में उपस्थित होकर आदेशिका पर गवाहान नाम दर्ज करवाये है। पीठासीन अधिकारी बाहर पधारने से गवाहान नहीं हो सके है तब वकील साहब ने कहा कि बाद में पता कर गवाहान पेश करने के लिए तुम्हें पत्र भेज दिया जायेगा। दिनाक 05.06.1995 को आदेशिका में दर्ज किया गया, वकुलाय फरीकन उपस्थित है प्रतिवादी अनुपस्थित है, वकील प्रतिवादी कोई शहादत पेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करना नहीं चाहते है अत शहादत प्रतिवादी बंद की जाती है, मिसल वास्ते बहस फाइनल में दिनांक 17.09.1995 तय की गई है। इस आदेशिका बाबत प्रतिवादी/अपीलान्ट रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण, इन्द्राणी बाई को कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि इस तिथि को प्रतिवादी उपस्थित नहीं रहे तथा इसके बाद भी कोई सूचना वकील प्रतिवादी द्वारा नहीं दी गई है तथा प्रतिवादी भी वकील प्रतिवादी से सम्पर्क नहीं कर पाये। बाद में वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि दावा खारिज हो गया है। दिनांक 05.06.1995 से पत्रावली बहस फाइनल में निरन्तर तारीख पेशी पर नियत रही तथा दिनांक 24.06.1998 को पत्रावली में निर्णय डिक्री पारित किया गया, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को नहीं हुई है। निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 की पालना की कार्यवाही निर्धारित अवधि में नहीं की गई हैं। मियाद अधिनियम की धारा 136 के अनुसार डिक्री की पालना की अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। इस अवधि के गुजरने के बाद तक डिक्री की पालना नहीं की गई हैं। इस कारण यह डिक्री निष्क्रिय हो चुकी है तथा पालना नहीं हो सकती है तथा इस तिथि के बाद की समस्त राजस्व रिकार्ड में आराजी का विवरण निम्नानुसार दर्ज रहा है। खसरा नं. 259 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 328 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 329 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 330 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 331 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 332 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 343 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल 7 किता कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रही है जो निरन्तर संवत 2056 से 2059 तक दर्ज रही है तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी वादी मृतक रामरतन का हक हिस्सा 1/6 भाग दर्ज होकर रामरतन वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान का हिस्सा 1/6 तथा शेष का 5/6 दर्ज रहा है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में रेस्पोडेन्ट कमांक 02, 03, 04, 05, 06 प्रत्येक का 1/36 तथा रेस्पोडेन्ट नं. 01 रामचन्द्र का 5/24, अपीलान्ट् नं. 01 व 02 प्रत्येक का 5/24 हिस्सा दर्ज हैं। इस प्रकार जैरकार निर्णय डिक्री दिनांक 22.06.1998, 22.07.1998, 24.06.1998 की पालना नहीं हुई हैं। डिक्री मियाद अधिनियम से बाधित है, इस कारण डिक्री स्वयं निरस्त हो गई है। रेस्पोडेन्ट्स डिक्री के बारे में, अनभिज्ञ रहे है तथा अपीलान्ट्स को भी डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी है।

जवाबदावे में रेस्पोडेन्ट्स नं. 2 लगायत 7 ने अपने द्वारा पेश जवाब दावे में पूर्व में निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 का वर्णन नहीं किया है। इससे यह तथ्य भी भली भांति साबित है कि प्रकरण से 95/452 वर्ष 1998 निर्णय/डिक्री दिनाक 24.06.1998 की जानकारी दिनांक 17.07.2018 तक जवाब पेश किये जाने तक नहीं रही है या रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 लगायत 7 (मृतक रामरतन के वारिसान) ने जानबूझकर छिपाया है। जेरकार निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 या 22.06.1998 या

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22.07.1998 के पारित होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स सं. 02 लगायत 7 मृतक रामरतन के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट्स नं. 1 रामचन्द्र को भी भली भांति रही है माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जेरकार निर्णय/डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर ली गई साक्ष्य का भी सही तरीके से गौर नहीं किया है। साक्ष्य वादी में पेश पी. डब्ल्यू. 1 नन्दूबाई स्वयं वादी है तथा पी. डब्ल्यू. 2 मांगीलाल गूजर निवासी रूपाखेडी का है। इनसे वकील प्रतिवादी द्वारा जो जिरह की गई है उस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। जिरह से यह पूर्णतया साबित है कि रामरतन के जन्म से पूर्व ही नन्दाजी का स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण रामरतन नन्दाजी का दत्तक पुत्र नहीं है। इस पर विचार नहीं कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की भारी भूल की है। दत्तक पुत्र नहीं होने की सूरत में वादी मृतक रामरतन के पक्ष में डिक्री पारित किया जाना कानूनी भूल है। दत्तक पुत्र नहीं होने की सूरत में वादी मृतक रामरतन के पक्ष में डिक्री निर्णय किया जाना कानूनी है।

वाद संख्या 628/1991 वादोक्त आराजी नहीं होकर मंदिर विष्णु भगवान ग्राम रूपाखेडी रही है जिसकी जानकारी नकले दिनांक 29.03.2019 को प्राप्त होने पर हुई है। मौके पर आराजीयात पर हक हिस्सा अनुसार तथा अपीलान्ट्स नं. 01 रामगोपाल के द्वारा रामरतन का हिस्सा खरीद दिनांक 08.05.1988 से खसरा संख्या 332 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा पर निरन्तर कब्जा काश्त अपीलान्ट नं. 01 का तथा 5/24 भाग पर अपीलान्ट नं. 02 का कब्जा काश्त निरन्तर है जिसे कभी–भी क्षण मात्र को खण्ड़ित नहीं किया गया है। इस कारण जैरकार अपील निर्णय/डिक्री विचारण न्यायालय की निरस्त होकर अपील स्वीकार हाने योग्य हैं। अपीलान्ट रामगोपाल के पास स्वयं का हिस्सा 5/24 तथा मृतक रामरतन का हिस्सा 1/6 का भी कब्जा काश्त निरन्तर बिना अवरोध के चला आ रहा है।

अतः लिखित बहस अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैरकार निर्णय/डिक्री दिनांक 24.06.1998 प्रकरण संख्या 85/462 वर्ष 1998, डिक्री दिनांक 22.07.1998 मिसल नम्बर 95/462/1998 निर्णय दिनांक 22.06.1998 को निरस्त करने कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का 1998 का निर्णय है जिस कारण अपील मियाद बाहर है जबकि मियाद के बिन्दु पर एक एक दिन का स्पष्ट अंकन करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिसका निर्णय में उल्लेख है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 2, 4, 5 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ है अर्थात् इन्हें

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सूचना थी दिनांक 27.05.1992 को जवाब दावा पेश किया है इनके दोनों ही तथ्य चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामरतन द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.06.1998 एवं डिक्री दिनांक 22.07.1998 से स्वीकार कर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 2.91 एकड़ साबिक का रकबा उतना ही हाल खसरा नम्बर 259 वाके ग्राम सुंवास रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में से कम किया जाकर वादीगण को इसका खातेदार घोषित किया जाकर इनके खाते बांधने बाबत उनके हक में डिक्री दी जाती है एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 332 की रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सुंवास, तहसील पिडावा का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है एवं उनके हक में डिक्री दी जाती है इस आशय का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 ग्राम सुंवास प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2044 से 2047 ग्राम सुंवास प्रदर्श 2 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम सुंवास प्रदश 3 के अनुसार बाद विवेचन जारी किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रामरतन के गोकुल, लक्ष्मीनारायण, रामचन्द्र एवं गोपाल सगे भाई है। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2021–2024 ग्राम सुंवास, तहसील पिडावा की खसरा नम्बर 224 रकबा 7.61 एकड़ एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 4.60 एकड़ आराजी रामरतन पुत्र नन्दा, जाति ब्राहमण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2044–2047 ग्राम सुंवास, तहसील पिडावा की खाता संख्या 133 की खसरा नम्बर 259 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.03

(दीपचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा, खसरा नम्बर 329 रकबा 07.08 बीघा, खसरा नम्बर 330 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नम्बर 343 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 332 रकबा 6.16 बीघा कुल किता 7 रकबा 36.01 बीघा भूमि रामरतन, गोकुल, लक्ष्मीनारायण, रामचन्द्र, गोपाल पिसरान कंवरलाल, इन्द्राजी बेवा कंवरलाल कोम ब्राहमण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 259 रकबा 12.12 बीघा साबिक खसरा नम्बर 219, 224, 225, 275 से बना है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 332 रकबा 6.16 बीघा साबिक खसरा नम्बर 271, 272, 273 से बना है।

उपरोक्त जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रामरतन पुत्र नन्दा के खाते की आराजी खसरा नम्बर 224 एवं 272 बाद सैटलमेंट वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते दर्ज कर दी गई। इसी आधार पर वादी रामरतन ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 3 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत हुआ एवं प्रतिवादी कम 2, 3 व 5 ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा विशेष आपत्तियों के साथ प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को गवाह प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। प्रतिवादी कम 2, 3 व 5 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित विशेष आपत्तियों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार किया है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) झालावाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.1998 व डिक्री दिनांक 22.07.1998 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. रामगोपाल उर्फ गोपाल आत्मज श्री कंवरलाल, उम्र 70 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०
2. मंदाकिनी पत्नी श्री रामगोपाल, उम्र 68 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवांस, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज०

.....**अपीलांट**

बनाम

1. रामचन्द पिता श्री कंवरलाल सेवानिवृत अध्यापक, जाति ब्राह्मण, निवासी ए–5, अग्रसेन विहार कॉलोनी, झालावाड़ जिला झालावाड राजस्थान (मृतक) कायम मुकामान
1/1 श्रीमति राजरानी शर्मा उम्र 72 वर्ष पत्नी स्व. रामचन्द
1/2 आलोक उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व. रामचन्द
1/3 राजेन्द्र शर्मा उम्र 40 वर्ष स्व. रामचन्द
1/4 रेखा कुमारी उम्र 52 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द
1/5 नीता कुमारी उम्र 45 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द
1/6 आशा कुमारी उम्र 43 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासीगण ए–5, अग्रसेन विहार कॉलोनी, झालावाड़ जिला झालावाड राजस्थान
2. श्रीमति नन्दु बाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री रामप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवॉस, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0
3. श्रीमति दुर्गाबाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री राजाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी सोयत खुर्द, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म0 प्र0)
4. श्रीमति धापूबाई पुत्री रामरतन पत्नी रामगोपाल, जाति ब्राह्मण, निवासी हाल सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म० प्र०)
5. श्रीमति सन्तोषबाई पुत्री रामरतन पत्नी श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी खूमड़ा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म० प्र०)
6. श्रीमति गायत्रीबाई पुत्री रामरतन पत्नी अरविन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी बकानीखुर्द, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड (राज०)
7. श्रीमति कमला बाई बैवा गोकुल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवांस, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०
8. पूनमचन्द आत्मज श्री गोकुल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड राज०
9. बालचन्द पिता श्री गोकुल, जाति ब्राहाण, निवासी ग्राम सुवास, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज०
10. श्रीमति पूरन बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी गैलाना माताजी का तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
11. श्रीमति भगवती बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री रामकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी गाँव लौहा का पिपलिया, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ म. प्र.
12. श्रीमति हेमलता पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवरी, जामुनिया तहसील जीरापुर, जिला राजगढ म. प्र.
13. श्रीमति पार्वती बाई पुत्री श्री गोकुल पत्नी श्री रविशंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज०
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा/रायपुर

.....**रेस्पोडेंट**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2019/00133** व नाराजगी डिक्री अदालत – **सहायक कलेक्टर (मु.), झालावाड़**

मु.द.नं **95/462/1998** निर्णय दिनांक –**24.06.1998** एवं डिक्री दिनांक – **22.07.1998**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **21** माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री हुकम चन्द कुमावत** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री पूरी लाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट क्रम 1/1 से 1/6 की ओर से, **श्री अमितोषाचार्य** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट क्रम 2 से 6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु.) झालावाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.1998 व डिक्री दिनांक 22.07.1998 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **19** माह **03** सन् **2025** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)